



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर


क्रमांक: प.नि./2024/

दिनांक:

कार्यालय-आदेश

विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद के टेबल एजेण्डा निश्चय संख्या-7 दिनांक 23.08.2024 एवं तदनुसार सिंडिकेट द्वारा निश्चय संख्या 16-1.10 दिनांक 15.10.2024 के तहत किये गये अनुमोदन के अनुसरण में निर्दिष्ट किया जाता है कि :-


1. कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा-2020 में पंजीकृत एवं स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा हेतु प्रोन्नत किये गये वे छात्र/छात्राएँ जो स्नातक द्वितीय परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं, वें आगामी स्नातक पार्ट-तृतीय वर्ष परीक्षा में बैठने हेतु अनुमत होंगे।
2. कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के मध्यनजर स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा-2020 में पंजीकृत एवं स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा हेतु प्रोन्नत किये गये ऐसे छात्र/छात्राएँ जिन्होंने अभी तक (अर्थात् परीक्षा-2024 तक) द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उनका वर्ष 2020 में जारी किया गया प्रोन्नत प्रमाण पत्र (Promote Certificate) स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


कुलसचिव

क्रमांक: प.नि./2024/ 2600 - 2605
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 18-11-24

1. उप कुलसचिव, शैक्षणिक-1, रा.वि.वि., जयपुर को उनके द्वारा शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 23.08.2024 में की गई अनुशंसाओं के Action Taken हेतु जारी किये गये मीमो संख्या- F.3(4)/Acad.I/2024/41897 दिनांक 02.10.2024 के संदर्भ में प्रेषित है।
2. उप कुलसचिव, परीक्षा गोपनीय/ लेखा एवं वित्त, रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर जारी करने का श्रम करें।
4. सहायक कुलसचिव/अनुभागाधिकारी/सहायक अनुभागाधिकारी, समस्त परीक्षा अनुभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
5. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।


18.11.24
परीक्षा नियंत्रक
o/c A/c
18/11/24